कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–2574/XXV–12(11)/2021 देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री मोहित शर्मा,
शारदा भवन हाऊस न0.21
निकट रेलवे फाटक,
खड़खड़ी, गंगाधर महादेव नगर,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक शून्य जो इस कार्यालय मे दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुआ है में मांगी गयी वांछित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,
DS - S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

06/12/21
Rc

सेवा मे

लोक सूचना अधिकारी
सचिव निर्वाचन - मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य

विषय सूचना के अधिकार मे :-

माननीय महोदय प्रार्थी मोहित शर्मा को निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता है
कृपया बिन्दुवार सूचना तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करे

(1) क्या आपके द्वारा सहायक विद्युत निरीक्षक उत्तराखण्ड शासन देहरादून जोन लेन न० 6 एकता एन्क्लेव नत्थनपुर रिंग रोड देहरादून के पत्र स० 984 नि० / स० वि० नि० / देहरादून जोन / वि० अनु० / 2021-22 दि० 27-11-2021 विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 से सम्बन्धित विद्युत कार्यों के सम्बन्ध मे देहरादून उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल जो जिला अधिकारियों को सम्बोधित किया गया है के लिये A class लाइसेन्स प्राप्त फर्म कार्य करने के लिये मान्य है के नियम को जिसकी फोटो कापी संलग्न है के लिये आप द्वारा क्या कार्यवाहि की गयी है जिलो को आदेश पारित किये गये है या नही तथा विद्युत नियमावली का पम्फलेट भी संलग्न किया गया है कृपया स्पष्ट जानकारी की फोटो प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करे

(1)

(1) संलग्न: सहायक विद्युत निरीक्षक पत्र फोटो प्रतिलिपि
(2) विद्युत नियमावली फोटो प्रतिलिपि
(3) अखबार के दिये गये विज्ञापन की फोटो प्रतिलिपि

भवदीय
मोहित शर्मा
श्री आरदा भवन हाऊस No 21 निकट रेलवे फाटक
खड़खड़ी गंगा द्वार महादेव नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड

कार्यालय
सहायक विद्युत निरीक्षक
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून जोन
एकता एनक्लेव, लेन नं0–6, रिंग रोड
[illegible]

फोन नं0 – [illegible]
[illegible]

कार्यालय
सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून जोन
लेन न0 6, एकता एन्कलेव, नत्थनपुर, रिंग रोड, देहरादून

संख्या– 984 नि0/स0वि0नि0/देहरादून जोन/वि0अधि0/2021–22 दिनांक 27/11/2021

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल।

विषय– विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष–2022 से सम्बन्धित विद्युतीय कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष– 2022 के अन्तर्गत कराये जाने वाले पिद्युतीय कार्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण (सुरक्षा एंव विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) के विनियम 2010 के अन्तर्गत प्राविधान है कि कोई भी विद्युतीय कार्य नियम–29 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाईसेन्सधारी विद्युत ठेकेदार द्वारा कराया जाये।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में सादर अनुपालनार्थ।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद कोटनाला)
सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून जोन, देहरादून।

[illegible]

(2) प्रत्येक जेनरेटिंग स्टेशन, घेरबंद सब-स्टेशन, घेरबंद स्विचिंग स्टेशन और प्रत्येक फैक्ट्री अथवा अन्य परिसर जिन पर यह विनियम लागू होते हैं, के स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियोजित अभिहित व्यक्ति उप-विनियम (1) में संदर्भित अनुदेशों की जानकारी रखते हों और इन्हें लागू करने में सक्षम हों ।

(3) 650 वो. से अधिक के वोल्ट वाले ऐसे प्रत्येक जेनरेटिंग स्टेशन, सब-स्टेशन अथवा स्विचिंग स्टेशन जहां व्यक्ति तैनात हों, में एक कृत्रिम श्वसन यंत्र (रिस्पिरेटर) उपलब्ध कराया जाएगा और इसे हमेशा अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा।

29. **उपभोक्ताओं, स्वामियों, कब्जाधारकों, इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों, इलेक्ट्रिकल कर्मियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां** - (1) कोई भी उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, स्वामी अथवा कब्जाधारक बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से अपनी ओर से परिसर में अतिरिक्त जोड़तोड़, फेरबदल, मरम्मत तथा समायोजन सहित किसी भी प्रकार के विद्युत प्रतिस्थापन के कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने देगा, जिनसे मौजूदा प्रतिष्ठान की क्षमता और विशेषताओं में कोई बदलाव हो, इसमें लैम्प, पंखें, फ्यूज, स्विच, 250 वो. तक के वोल्ट वाले घरेलू विद्युत उपकरण बदलने जैसे कार्य सम्मिलित नहीं हैं । ऐसे कार्य केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बिजली के लाइसेंसधारक ठेकेदार द्वारा कौशल प्रमाण-पत्र धारक किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा जारी परमिट धारक व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार के लिए अथवा उनकी तरफ से किए गए कार्यों के मामले में और खानों, तेल क्षेत्रों तथा रेलवे में प्रतिस्थापन के मामले में, केंद्रीय सरकार और अन्य मामलों में राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अपनी शर्तों में आमतौर पर अथवा किसी विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, स्वामियो अथवा कब्जा धारकों को वर्णित कार्यों में रियायत दे सकती है ।

(2) उप-विनियम (1) का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्युत प्रतिष्ठान से संबंधित कार्य को बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी अथवा इन्हें किसी भी आपूर्तिकर्ता के प्रतिष्ठानों से न ही जोड़ा जाएगा ।

30. **प्रतिष्ठानों की समय-समय पर जांच और परीक्षण** - (1) ऐसे मामलों में जहां प्रतिष्ठान को आपूर्तिकर्ता अथवा व्यापारी की आपूर्ति प्रणाली से पहले ही जोड़ा जा चुका है, ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और एक निश्चित अंतराल पर इनका परीक्षण किया जाएगा । यह अंतराल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । निरीक्षण और परीक्षण कार्य या तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अथवा आपूर्तिकर्ता, जैसा भी राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, तथा केन्द्रीय सरकार के अथवा उसके नियंत्रण वाले प्रतिष्ठानों के मामले में, और खानों, तेल क्षेत्रों और रेल के मामले में केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिया है, द्वारा किया जाएगा ।

(2) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आपूर्तिकर्ता के 650 वो. से अधिक वोल्ट वाले प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण तथा परीक्षण निश्चित अंतरालों पर करेगा, अंतराल 5 वर्ष से अधिक का नहीं होगा ।

मानव जीवन बचायें / अग्निकांड से बचें

सार्वजनिक सूचना

मेरठ के विक्टोरिया पार्क मेले के हादसे की पुनरावृत्ति उत्तरांचल में न हो!

इसके लिए मेला, प्रदर्शनी तथा जलसे (जहाँ 100 या 100 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हों तथा 100 वोल्टता से ऊपर के 250 वाट से अधिक क्षमता के विद्युत अधिष्ठापन का प्रयोग हो) के आयोजक / अनुमति प्रदानकर्ता / विद्युत ठेकेदार / विद्युत आपूर्तिकर्ता (उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि.) निम्नलिखित का पालन करें।

★ आयोजन के कम से कम एक सप्ताह से पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी को विवरण सहित नोटिस दिया जाये।

★ विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से ही कराया जाये।

★ आई.एस.आई. / आई.एस.एस. मानक उपकरणों एवं वायरिंग मैटीरियल का प्रयोग किया जाये।

★ शार्ट सर्किट से आग एवं विद्युत लीकेज से बचने के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त क्षमता की अर्थ लीकेज प्रोटैक्टिव डिवाइस, जो हाई वोल्टेज, ओवर करेन्ट तथा 10 मिली एम्पियर के विद्युत लीकेज पर भी ट्रिप हो जाये, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर प्रत्येक फेज में लगाये जायें।

★ विद्युत अधिष्ठापन / वायरिंग की सक्षम अर्थिंग की जाये।

★ विद्युत वायरिंग पर क्षमता से अधिक लोड न डालें।

★ टैन्ट / तम्बू व कनात इत्यादि प्लास्टिक अथवा सिंथेटिक कपड़े से कदापि न बनाये जायें।

★ स्थल पर प्रवेश एवं निकासी के कई बड़े द्वार लगाये जायें।

★ स्थल पर उपयुक्त अग्नि शमन व्यवस्था, जिसमें बिजली की आग बुझाने के अग्नि शमन यंत्र उपयुक्त संख्या में (स्थल के साइज के अनुसार) भी सम्मिलित हैं, की जाये।

★ विद्युत ठेकेदार के कार्यपूरक प्रमाण पत्र (B & L फार्म) तथा निरीक्षण शुल्क से सम्बन्धित कोषागार चालान सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करवाकर निरीक्षण करवायें तथा विद्युत अधिष्ठापन / वायरिंग को प्रयोग में लाने हेतु लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही पावर कारपोरेशन लि. विद्युत आपूर्ति करे।

★ आग लगने पर बिजली तुरन्त बन्द करें।

★ बिजली की आग को पानी से न बुझाये बल्कि सूखी बालू तथा कार्बन डाई आक्साइड या ड्राई पावडर अग्नि शमन यंत्र से बुझायें।

★ बिजली से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मृत न समझे, उसको कृत्रिम श्वांस दें एवं प्राथमिक उपचार करते हुए डाक्टर को तत्काल दिखायें।

★ जनसाधारण बिजली के तारों / लाइन / पोल एवं उपकरणों से छेड़छाड़ न करें।

उपरोक्त का उल्लंघन करने पर विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 146 के अधीन दंडित हो सकते हैं। यह आपके एवं परिजनों तथा जन साधारण की मृत्यु / अग्निकांड का कारण बन सकता है।

ऐसे हादसों को रोकने हेतु उत्तरांचल शासन जन साधारण के जान-माल की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।

उत्तरांचल शासन

निवेदक

विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन

विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा जन हित में प्रचारित